न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. हरीश पिता स्वर्गीय शंकरलाल, जाति तेली, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. प्रकाशचन्द्र पिता स्वर्गीय शंकरलाल, जाति तेली, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मणीलाल पिता मगनलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हरीश पिता मगनलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. ललित पिता मगनलाल, जाति कलाल, नाबालिग जरिये वलीया व माता श्रीमती कुरी बेवा मगनलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती कुरी बेवा मगनलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. कन्हैयालाल पिता कालूलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
29.09.2015 प्रकरण संख्या 121/2002

---/---

उपस्थित :– 1– श्री हीरालाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1, 3 से 5

---::---

निर्णय **दिनांक 31–12–2024**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:53 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि [illegible] न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद बाबत [illegible] काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर [illegible] का खाता संख्या 145 नया 150 पुराना के खसरा नंबर 562 रकबा [illegible] बीघा 7 बिस्वा

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भूमि ग्राम तेजपुर में स्थित है, जिसका वादीगण खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी दिनांक 05–08–2002 को चारों तरफ पत्थरों की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पिता शंकरलाल ने 6,500/– रूपये में क्रय कर काबिज हुआ है एवं वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। प्रतिवादीगण सन् 1984–84 अर्थात 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज चले आ रहे हैं, जिससे वादीगण कब्जा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–09–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण ने यह साबित कराया है कि उनके पिता शंकरलाल जी द्वारा वर्ष 1984–85 में बाउण्ड्रीवाल बनवाई जाकर कब्जा कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, जिससे वादीगण का दावा स्पष्ट रूप से मयाद बाहर था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी कब्जा अपीलान्टगण का साबित होता है। [illegible] नहीं किया है। एडवर्श पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदार हो चुके हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं [illegible]या है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:53 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में विवादित आराजी नंबर 562 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी संवत् 2057 से 2060 एवं लगान की रसीदें प्रदर्श 4 से 7 से कब्जा वादीगण का साबित होता है। किन्तु प्रतिवादीगण का कथन है कि उनके पिता शंकरलाल द्वारा 6,500/– रूपये में उक्त भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा इस बाबत् प्रदर्श ए–1 तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28–08–2002 प्रस्तुत की है, जिसमें कब्जा प्रतिवादीगण का होने का कथन है, किन्तु क्रय, विक्रय संबंधित कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र मौखिक साक्ष्यों एवं उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण का स्वामित्व नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–09–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:53 IST
Reason: Self Attested

कीर्ति राठौड़
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

हरीश पिता शंकरलाल, जाति तेली, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **मणीलाल पिता मगनलाल, जाति कलाल, निवासी तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**58/2015**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**बांसवाड़ा**........... मुकाम................मुवर्खे.............**29**..............माह..............**09**............**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**31**....माह........**12**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.........**श्री हीरालाल जैन**........मिनजानिब अपीलान्ट व.........**श्री यशपाल गुप्ता**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी 29–09–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**31**.......माह.......**12**..........**2024**
को जारी किया गया।

31-12-24

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल [illegible] जिसे दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:53 IST
Reason: SelfAttested